

कार्यालय :- जिला एवं सेशन न्यायाधीश ब्यावर

परिपत्र

क्रमांक/स्था./2026/ 01

दिनांक- 13/6/26

माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा जारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल्स 2020 के अनुसार ब्यावर न्यायक्षेत्र में तालुका मुख्यालयों पर पदस्थापित पीठासीन अधिकारीगण को उनके बयान लेखबद्ध करवाने हेतु ब्यावर मुख्यालय स्थित वी.सी रिमोट पाईन्ट पर आना पड़ता है जिससे समय और न्यायिक कार्यों दोनों में बाधा उत्पन्न होती है।

इस संबंध में तालुका मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में पदस्थापित न्यायिक अधिकारी सर्वप्रथम जहां उनके बयान लेखबद्ध करवाए जाने हैं, उस न्यायालय से इस संबंध में अनुमति प्राप्त करेंगे।

संबंधित न्यायालय से अनुमति मिलने के पश्चात तालुका मुख्यालय पर पदस्थापित न्यायिक अधिकारीगण अपने न्यायालय के वी.सी सेट के जरिए संबंधित न्यायालय में बयान लेखबद्ध करवायेंगे। उक्त वी.सी के लिए उनके न्यायालय में कार्यरत पूर्व में नामित कर्मचारीगण वी.सी कॉर्डिनेटर के रूप में कार्य करेंगे एवं बयानों पर प्रतिहस्ताक्षर करके संबंधित न्यायालय को बना कर ई-मेल करेंगे एवं रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी बयान भिजवायेंगे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
ब्यावर

क्रमांक/ 5811-5823

दिनांक:- 13/06/26

प्रतिलिपि समस्त पीठासीन अधिकारीगण ब्यावर न्यायक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
ब्यावर